

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 361  
No. 437] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939 [N.C.T.D. No. 361

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

सं. 43/2017-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(61)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/769.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 4/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/372, तारीख 30 जून, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

*4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति”;
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 4/2017 –राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/372, तारीख 30 जून, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 24 नवम्बर, 2017, जिसे सं. फा. 03(49)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/752, तारीख 24 नवम्बर, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT****NOTIFICATIONS**

Delhi, the 28th November, 2017

**No. 43/2017-State Tax (Rate)**

**No. F. 03 (61)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/769.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 4/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE,—

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person”.
------	------	------------	---------------	-------------------------

2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

**Note :** The principal notification No. 4/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No.F. 3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372, dated the 30th June, 2017 and last amended by Notification No. 36/2017-State Tax (Rate), dated 24<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (49)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/752, dated the 24<sup>th</sup> November, 2017

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सं. 44/ 2017-राज्य कर (दर)**

**सं. फा. 03(62)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/770.**—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 5/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/371, तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडराय फैब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (बोल्डक्स)।”

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 5/2017-राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/371, तारीख 30 जून, 2017, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 6 नवम्बर, 2017, जिसे सं. फा. 03(37)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/708, दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

Delhi, the 28th November, 2017

**No. 44/2017-State Tax (Rate)**

**No. F. 03 (62)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/770.**—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

**Note :** The principal notification No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017, and last amended *vide* notification No. 29/2017-State Tax (Rate) dated 6<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(37)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/708, dated the 6<sup>th</sup> November, 2017.

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सं. 45/ 2017- राज्य कर (दर)**

**सं. फा. 03(63)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/771.**—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए राज्य कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्ते की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों—

**सारणी**

क्रम सं.	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर कम्पैक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम),	(I) इन वस्तुओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो — (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा

		<p>रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से अधिक न हो।</p>	<p>संस्थान कम से कम उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या</p> <p>(ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो;</p> <p>(ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल की जरूरत अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है;</p> <p>(iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p>
2.	अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर कांपेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से अधिक न हो।</p>	<p>(1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हों; जोकि -</p> <p>(i) आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;</p> <p>(ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे</p>

			<p>जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p> <p>(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।</p>
3.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पैक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से अधिक न हो।</p>	<p>(i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;</p> <p>(ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p>
4.	क्षेत्रीय कैसर सेंटर (कैसर संस्थान)	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपुर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पैक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p>	<p>(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैसर केंद्र को की जा रही हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो;</p> <p>(ii) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है;</p>

			(iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
--	--	--	---

**स्पष्टीकरण-** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति—

- (क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;
- (ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं—
- (i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;
- (ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;
- (iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;
- (ग) "प्रमुख" से अभिप्राय—
- (i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (घ) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी।

Delhi, the 28th November, 2017

**No. 45/2017- State Tax (Rate)**

**No. F. 03 (63)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/771.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 2.5 per cent, when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table—

TABLE

S. No.	Name of the Institutions	Description of the goods	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded research institution other than a hospital or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a National Institute Technology/ Regional Engineering College	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose);</p> <p>(c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.</p>	<p>(i) The goods are supplied to or for –</p> <p>(a) a public funded research institution under the administrative control of the Department of Space or Department of Atomic Energy or the Defence Research Development Organisation of the Government of India and such institution produces a certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or</p> <p>(b) an institution registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods;</p> <p>(ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p>

2.	Research institution, other than a hospital	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose);</p> <p>(c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.</p>	<p>(1) The institution is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research, which-</p> <p>(i) produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the head of the institution, in each case, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for stated purpose only;</p> <p>(ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p> <p>(2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation.</p>
3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose);</p> <p>(c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.</p>	<p>(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p>
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose);</p> <p>(c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-</p>	<p>(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of</p>



		ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches.	<p>India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods;</p> <p>(ii) the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(iii) in case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p>
--	--	---	--

**Explanation.**— For the purposes of this notification, the expression,—

- (a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;
- (b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes —
- (i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;
- (ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;
- (iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;
- (c) "Head" means —
- (i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);
- (ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);
- (iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);
- (d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.

2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सं. 46/ 2017-राज्य कर (दर)**

**सं. फा. 03(64)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/772.**—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/ वित्त/(राज.-1)/ 2017-18/डीएस-VI/381, तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,—

- (i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द “की गई हो” के स्थान पर “की गई दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष,—

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
<p>“(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहाँकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहाँ ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाच सौ रुपये और इससे अधिक हो या समकक्ष ।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।</p>	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें);

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
<p>“(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहाँकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहाँ ऐसे</p>	9	-”;

<p>खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष ।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।</p>		
--	--	--

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

"(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों ।

**स्पष्टीकरण-** किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वान्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।"

(iii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

**स्पष्टीकरण-** "हस्तशिल्प वस्तुओं" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 32/2017-राज्य कर, दिनांक 8 नवम्बर, 2017, जिसे सं. फा. 03(38)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/716, तारीख 8 नवम्बर, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 11/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, तारीख 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 23 नवम्बर 2017, जिसे सं. फा. 03(44)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/744, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Delhi, the 28th November, 2017

**No. 46/2017-State Tax (Rate)**

**No. F. 03(64)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/772.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words “Services provided”, the words “Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, provided” shall be substituted;
- (ii) against serial number 7,—
- (a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
<p>“(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.</p> <p><b>Explanation.</b>- “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.</p>	2.5	<p>Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken</p> <p>[Please refer to Explanation No. (iv)].”;</p>

- (b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
<p>“(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above</p>	9	-”;

per unit per day or equivalent.		
<b>Explanation.-</b> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		

(c) the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;

(d) in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

**Explanation.-** For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract State tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.”;

(iii) against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -

‘(i) manufacture of handicraft goods.

**Explanation. -** The expression “handicraft goods” shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017-State Tax, dated the 8<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (38)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/716, dated the 8<sup>th</sup> November, 2017 as amended from time to time.’

2. This notification shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> of November, 2017.

**Note :** The principal notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, and last amended vide notification No. 31/2017-State Tax (Rate), dated 23<sup>rd</sup> November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3(44)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/744, dated the 23<sup>rd</sup> November, 2017.

दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सं. 47/2017-राज्य कर (दर)**

**सं. फा. 03(65)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/773.**—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 12/2017- राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।”;

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“79क	शीर्ष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं”।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. (3)/(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, तारीख जून 30, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 32/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 24 नवम्बर, 2017, जिसे सं. फा. 03(45)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/749, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

Delhi, the 28th November, 2017

**No. 47/2017-State Tax (Rate)**

**No. F. 03(65)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/773.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) against serial number 11A, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: —

“Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.”;

(b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil”.

2. This notification shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> of November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

**Note :** The principal notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3 (15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, and last amended *vide* notification No. 32/2017-State Tax (Rate), dated 24<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F. 3 (45)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/749, dated the 24<sup>th</sup> November, 2017.